न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

अपील संख्या–1/2019

(1) कन्हैयालाल पुत्र बिडदीचन्द जाति जांगिड,

(2) कमलेश पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति जांगिड, निवासीगण ग्राम राणोली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

अपीलांटगण....

बनाम

(1) राज्य सरकार जरिये तहसीलदार दातारामगढ जिला सीकर।

रेस्पोन्डेन्ट....

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय दिनांक 31/05/2008 अज अदालत सहायक कलक्टर,सीकर अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र संख्या 136/2003 धारा 175 रा.का.अ0 बउनवान तहसीलदार दातारामगढ बनाम चौथमल आदि।

उपस्थितिः–1–श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत

2.....

निर्णय दिनांकः– 04.4.2019

उपरोक्त उनवानी अपील की विषय–वस्तु ग्राम राणोली तहसील दातारामगढ जिला सीकर की तन में स्थित खातेदारी भूमि संख्या नम्बर 1591/1479 रकबा 0.06 है और खसरा नम्बर 1592/1480 रकबा 0.15 हैक्टेयर है जो कि बरोज निर्णय अदालत मातहत अपीलांटगण के नाम अधिकार अभिलेख में दर्ज थी।

धारा 5 अवधी अधिनियम तथा धारा 96 सीपीसी के साथ प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष की तलबी की गई व मातहत अदालत की मूल पत्रावली तलब की गई। अपील मीमो व मातहत अदालत की पत्रावली के अनुसार निर्णयाधीन अपील के अन्य सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैः–कि तहसीलदार दातारामगढ

प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

द्वारा दिनांक 11/12/1985 को धारा 175 रा.का.अ. के तहत एक प्रार्थना–पत्र उपखण्ड अधिकारी सीकर के न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम राणोली की तन में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर अमुक–अमुक जिसके खातेदार अप्रार्थी सख्या 1 लगायत 35 है, ने धारा 42 रा.का.अ. एवम धारा 175 रा.का.अ. के प्रावधानों का उल्लंघन किया है लिहाजा वादग्रस्त आराजीयात को राजसात किया जाये।

उपरोक्त आधार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की लम्बी अवधि तक सुनवाई के उपरान्त अदालत मातहत द्वारा प्रार्थना पत्र जस का तस स्वीकार किया गया तथा अन्य समस्त अप्रार्थीगण के साथ–साथ अपीलार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड भूमि की खातेदारी भी चुनौती ग्रस्त आदेश के जरिये समाप्त कर दी गई।चुनौतीग्रस्त आदेश दिनांक 31/05/08 की क्रियान्वीति मे तहसीलदार द्वारा नामान्तकरण संख्या 561 दिनांक 08/09/08 स्वीकार किया गया तथा इसका अमलदरामद जमाबंदी सम्वत् 2065–2068 के विभिन्न खातों में किया गया।

मातहत अदालत के चुनौतीग्रस्त निर्णय दिनांक 31/05/2008 की क्रियान्वीति से चूंकि अपीलांटगण, जो कि पूर्वोक्त पैरा में उल्लिखित कृषि के रेकार्डेड खातेदार थे, की खातेदारी समाप्त कर दी गई है तथा यह भी कि अपीलांटगण को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नही किया गया था लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधी अधिनियम तथा धारा 96 सीपीसी स्वीकार किये जाते है।

अपील के गुणावगुण का आद्योपांत अवलोकन किया गया व विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मौखिक व लिखित बहस का मनन किया गया।पत्रावली के विवेचन से अग्रलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते है:–(1)अदालत मातहत द्वारा दिनांक 16/12/85 को दर्ज प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 का निर्णय लगभग 23 वर्ष पश्चात दिनांक 31/05/08 को किया गया है। इस अवधि मे धारा 42 (क) (अपखण्डन) का राज्य सरकार द्वारा विलोपन कर दिया गया था तथा राजस्व अभिलेख में भू–प्रबंधन, विरासत, हस्तान्तरण, डिक्री आदि कारणों से अनगिनत परिवर्तन नामान्तकरणों के जरिये किये गये, जिन्हें निर्णय से पूर्व रेकार्ड पर नही लिया गया।जो कि निर्णय की उल्लेखनीय त्रुटी है। (2) निर्णय दिनांक 16/12/85 पारित किये जाने के दिन अपीलांटगण राजस्व अधिकार अभिलेख में खातेदार दर्ज रेकार्ड थे। अपीलांटगण को उपखण्ड अधिकारी के आदेश से नामान्तकरण संख्या 540 दिनांक 01/07/99 व नामान्तकरण संख्या 573 दिनांक 01/07/99 के द्वारा विधिवत

उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

खातेदार दर्ज किया गया था। लेकिन इसके बावजूद दर्ज रिकार्ड खातेदार जो कि प्रकरण में आवश्यक पक्षकार थे, को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना तथा पक्षकार बनाये बिना उसके खातेदारी अधिकार एक तरफा कार्यवाही के जरिये समाप्त कर दिये गये हैं, जो कि न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त के सर्वथा विपरीत है। (3) अदालत मातहत में चुनौतीग्रस्त आदेश की सुनवाई के समानान्तर अपीलांटगण की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि को वाणिज्यीक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित करने की कार्यवाही समान कार्यालयों (तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी) में संस्थीत की जाकर जेरकार रही है। वर्ष 1999 में अपीलांटगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी सीकर को दो पृथक पृथक आवदेन वादग्रस्त आराजीरात को वाणिज्यीक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित करने के उद्धेश्य से प्रस्तुत किये गये। उक्त आवेदनों पर सम्यक पत्राचार व जांच के उपरांत चालान संख्या 279, 280 दिनांक 11/06/99 द्वारा क्रमशः राशि 50,000–50,000 रूपये तथा चालान संख्या 496 व 497 दिनांक 09/07/99 द्वारा क्रमशः राशि 4800–4800 रूपये जमा किये गये है। उक्त आवेदन अपीलांटगण के अनुसार आदिनांक लम्बीत हैं। ऐसी स्थिति में राजस्व विभाग के नवीनतम परिपत्रों के अनुसार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भूमि डीम्ड रूपान्तरित भूमि की श्रेणी में आ गई है। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर भी गौर नही किया गया है। (4) अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 31/05/08 के प्रभाव से वादग्रस्त सम्पूर्ण आराजीयात में से सीताराम कुनावत नामक खातेदार की भूमि खसरा नम्बर 1588/1470 व 1585/1470 रकबा क्रमशः 0.0668 व 0.0653 की खातेदारी भी समाप्त कर दी गई थी। लेकिन प्रकरण प्रथमदृष्टा होने के आधार पर उक्त खातेदारी उपर जिला कलेक्टर सीकर के प्रशासनिक आदेश दिनांक 28/05/12 व नामान्तकरण संख्या 857 द्वारा खातेदारी पूर्ववत बहाल कर दी गई है।इस दृष्टात को विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा नजीर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। (5) विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी के कथनानुसार वादग्रस्त आराजी का एक अल्प अंश राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के विस्तारीकरण में अवाप्त किया गया है।जिसका मुआवजा मौके पर भौतिक कब्जा होने के आधार पर अपीलांट को दिया गया है।मुआवजा राशि के चैक की छायाप्रति पुष्टि हेतु प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त प्रकार से प्राप्त निष्कर्षों की रोशनी में यह कतई स्पष्ट है कि अदालत मातहत का चुनौतीगस्त निर्णय एकपक्षीय होने के साथ साथ एकाधिक त्रुटियों से भी ग्रसित है। जिसमें से एक उल्लेखनीय त्रुटि यह है कि अदालत मातहत द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर नही किया गया कि भूमिधारी द्वारा धारा 175 रा.का.अ. का प्रार्थना पत्र मुख्यतः धारा 42 रा.का.अ. के अतिल्लघन में कृषि भूमि का उपखण्ड किये

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जाने के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। जबकि निर्णय के प्रयाप्त समय पूर्व राज्य सरकार द्वारा धारा 42 में संशोधन कर उपखण्डन का प्रावधान ही समाप्त कर दिया गया था।अस्तु उपरोक्त निष्कर्षो के आधार पर अपीलांट के हक हिस्से की सीमा तक अपील स्वीकार किये जाने योग्य व चुनौतीग्रस्त आदेश दिनांक 31/05/08 अपास्त किये जाने योग्य है।अतः यह आदेश दिया जाता है कि:-

-आदेश:-

ग्राम राणोली स्थित भूमि खसरा नम्बर 1591/1479 रकबा 0.0600 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1592/1480 रकबा 0.1500 हैक्टेयर जो कि जमाबंदी सम्वत् 2065-2069 के खाता संख्या क्रमशः 14/18 व खाता संख्या 10/16 में क्रमशः अपीलांट संख्या 2-कमलेश व अपीलांट संख्या 1-कन्हैयालाल की खातेदारी में दर्ज था जिसे चुनौतीग्रस्त आदेश दिनांक 31/05/08 की क्रियान्वीति में नामान्तकरण संख्या 561 द्वारा विलोपित कर दिया गया था, की खातेदारी पुनः बहाल की जाती है।अपीलांटगण को पुनः जमांबदी सम्वत् 2065-68 के खाता संख्या 14/18 तथा 10/16 के अनुरूप खातेदार दर्ज किया जायें। इस अवधी में उपरोक्तानुसार रकबें में से कोई अंश यदि विधिवत रूप से अवाप्त किया गया है तो उसे खातेदारी में से कम किया जावेगा। अदालत मातहत का रिकार्ड लौटाया जावें। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(करतार सिंह पूनिया)
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी, सीकर